न्यायालय सहायक कलक्टर टोडाभीम कैम्प कोर्ट खेरवाल

तारीख हुक्म	रेवड़ बनाम रामप्यारी किशना वगै. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दावा प्र.सं. (85/03) 36/2015	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-5-18 रमेश चन्द मीना 18/05/18	पत्रावली सजाते लोक अदालत कैम्प कोर्ट खैरवाल में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 3 कैम्प कोर्ट में उप. हुआ। प्रतिवादी रमेश को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3-5-18 आदेश 23 नियम 1 जा. दी. नाम हटाने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में तनकीयात कायम होकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली में तनकीवार निर्णय किया जाना न्यायोचित है। रेवड़ बनाम कलना के मिलान दावा संख्या 84/05 उनवानी कलना बनाम रेवड़ दिनांक 7-2-2006 को कन्सोलिडेट की गई है। इस पत्रावली में पारित निर्णय उक्त पत्रावली संख्या 84/05 पर भी लागू होगा। 1. तनकीह नं-1 :- विवादित आराजी पर वादीगण की रामप्यारी के जीवनकाल से ही काबिज काश्त है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रामप्यारी के जीवन काल से ही उनका कब्जा काश्त होना अपने वाद में अंकित किया है परन्तु अपने कथन की पुष्टि में किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड या अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। अतः तनकीह वादीगण किशना वगै. साबित करने में असमर्थ होने से प्रतिवादी कलना देवी वगै. के पक्ष में निर्णीत की जाती है।	

लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

2. तनकीह नं.2 :- रामप्यारी वादिनी के हक में दिनांक 15.1.03 को वसीयत कर दी ! - वादी मन ने अपने वाद के साथ वसीयत पेश नहीं कर दिनांक 3-10-08 को न्यायालय में पेश की गई है, जो 10/= रुपये के स्टाम्प पर अन रजिस्टर्ड वसीयत है। वसीयत पर भी मय अंगूठा निशानी मय दस्तखत जाई की है, जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। दिनांक 3-11-98 की रजिस्टर्ड वसीयत के मुकाबले अन रजिस्टर्ड वसीयत को सही माना जाना न्यायोचित एवं वैधानिक नहीं है। अतः यह तनकीह भी वादी मन के बजाय प्रतिवादीगण [illegible] के पक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	में निर्णित की जाती है।	
3	**तनकीह नं. 3 :- वादीगण ही रामप्यारी वारिस एवं काबिज काश्तकार हैं :-** वाद-पत्र में अंकित तथ्य अनुसार मृतक रामप्यारी के अधीनस्थ कुटुम्ब में सदस्य है मृतक रामप्यारी का वादग्रस्त भूमि का अलग खाता है तथा वह अलग ही रहती थी, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध राशन कार्ड से की प्रति के अनुसार हो रही है। मृतक रामप्यारी निर्वसीयत होने की स्थिति में ही वादीगण रामप्यारी वारिस माने जा सकते हैं तथा वादग्रस्त भूमि के कब्जे होने से मृतक रामप्यारी अपने भाई की लड़की विमला की व्यवस्था से ही सेवा-चाकरी प्राप्त होकर अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 3-11-1998 को विमला देवी के हक में किये जाने से मृतक रामप्यारी के परिवारजन (वादीगण) का कोई हक व अधिकार नहीं होने से यह तनकीह भी वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।	
4.	**तनकीह नं. 4 :- प्रतिवादिया-1 के हक में की गई वसीयत दिनांक 3-11-1998 फर्जी एवं अवैध है। :-** दिनांक 3-11-98 को मृतक रामप्यारी के द्वारा विमला देवी के हक में की गई वसीयत उप पंजीयक ... के कार्यालय में की गई है जो रजिस्टर्ड वसीयत है। रजिस्टर्ड वसीयत को फर्जी एवं अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः यह तनकीह भी वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की	

[signature] सहायक कलक्टर ... टोंक

हुक्म की तामील में जारी हुए

जाती है।

5. वादबिन्दु-5:- वादीगण ने वसीयतपत्र दिनांक 3-11-98 के फर्जी होने के सम्बन्ध में इस्तगासा दायर किया जो थाना दौसा को कार्यवाही के लिए भेजा था, इसका दावा पर क्या प्रभाव है? — वादी स्वयं द्वारा दिनांक 3-11-98 की वसीयतपत्र के फर्जी होने के सम्बन्ध में पेश किये गये इस्तगासा में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के आदेश दिनांक 12-4-2004 के द्वारा दिनांक 3-11-98 की वसीयतपत्र को सही होना मानते हुए प्रोटेस्ट पीटिशन निराधार होने से धारा 203 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार खारिज किया गया है। वादी स्वयं के द्वारा थाना दौसा में किये गये इस्तगासा से दिनांक 3-11-98 की की वसीयतपत्र को फर्जी साबित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह तनकी भी वादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की ...

6\. तनकीह नं. 6 :- दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत कानूनन बाधित है। इसी प्रकार से वाद वादी सं. 2 के द्वारा रामप्यारी के जीवन काल में रामप्यारी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार [illegible] में वाद विवेचनार्थ पेश किया गया था। पूर्व वाद के प्रस्तुत न्यायालय में इस वाद के प्रस्तुत न्यायालय में निर्णीत होने से कानूनन यह वाद नहीं चल सकता है। यह तनकीह भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7\. तनकीह नं. 7 :- विवादित आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 कमलादेवी का रामप्यारी के जीवन काल से लगातार काबिज आ रहे हैं :- वाद मुतालिक आराजी पर प्रतिवादी कमला व मृतक रामप्यारी के जीवन काल से ही काबिज आ रहे हैं। प्रतिवादी

... एवं कार्यपालक ... जिला टोंक

सहायक कलक्टर टोंक

हुक्म | हुक्म की ... में जारी

मनोज के द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 72 एवं राशन कार्ड संख्या 691 ग्राम पंचायत मांगल बैराठी के अनुसार मृतक रामप्यारी के राशनकार्ड में प्रतिवादी किशना एवं उसके पुत्र राजू एवं जयराम के नाम अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी किशना शुरू से ही मृतक रामप्यारी के साथ ग्राम मांगल बैराठी मय परिवार में रहती थी तथा मृतक रामप्यारी की भूमि पर भी काश्त करती थी। यह तनकी भी प्रतिवादी गण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. तनकी नं. 8:- वसीयत दिनांक 3-1-98 वादी नं. 1 रेवड़ द्वारा स्वीकार्य नहीं है। इसका दावा पर क्या प्रभाव है।:- वादी रेवड़ के द्वारा 3-1-1998 की वसीयत को स्वीकार्य नहीं होने से ही वादी रेवड़ के द्वारा उद्घोषणा का वाद पेश किया गया है, जो न्यायालय में लम्बित है। वादी रेवड़ के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को स्वीकार नहीं करने से दावे पर कानूनन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी गण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

9. तनकी नं. 9:- प्रतिवादी नं. 1 के हक में रामप्यारी ने दिनांक 3-1-98 को वसीयत की थी:- मौजा बैराठी स्थित वादग्रस्त भूमि के मृतक रामप्यारी के द्वारा दिनांक 3-1-98 को प्रतिवादी किशना के हक में रजिस्टर्ड वसीयत कर दिये जाने से वादग्रस्त भूमि को अपने नाम उद्घोषणा करने की किशना हकदार हो गई है। मृतक वसीयत के किशना के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित एवं वैधानिक होने से यह तनकी भी प्रतिवादी किशना के पक्ष में निर्णित की जाती है।

कलेक्टर एवं कार्यपालक ... जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
10.	तनकीह नं० 4 :- प्रतिवादी नं-1 श्रीरामप्यारी की एकमात्र वारिस होने के कारण विवादित आराजी की काश्तकार है। - ग्राम मोहरवालपट्टी दौला में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 22/0.62, 23/0.48, 24/0.24, 25/0.11, 26/0.31, 27/1.24 है कुल किता 6 कुल रकबा 3.00 है. भूमि श्रीरामप्यारी के द्वारा विमला देवी के पक्ष में दिनांक 3-11-98 को रजिस्टर्ड वसीयत कर दिये जाने के कारण वादीगण के हक में किया गया नामान्तरण की वैधता की घोषणा प्रतिवादी के पक्ष में किया जाना न्यायोचित है। उक्त वादग्रस्त भूमि की काश्तकारी वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 विमला देवी के पक्ष में काश्तकारी की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित है अतः यह तनकीह भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।	

11. विवाद्यक-11- वसीयत दिनांक 3-11-98 को अमान्य किये कुरकिये कराये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होने के कारण दावा खारिज योग्य है:-

वादीगण द्वारा दिनांक 3-11-98 की रजिस्टर्ड वसीयत को अमान्य किये कुरकिये कराये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत को प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

12. विवाद्यक-12:- दावा बदनियत मियाद बाहर है। इस विवाद्यक पर निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं है।

13. विवाद्यक-13:- नामान्तरकरण दिनांक 12-8-03 फर्जी किया गया है:- पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार,

रा.मु.जो.

वाचक कलेक्टर

[illegible] व अ. बनाम किशना देवी व अ.

किस्म मुकदमा दावा 88/188 नं. (85/13) 96 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृतक खातेदार रामप्यारी देवी ने अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत उप पंजीयक टोंक में दिनांक 3-11-98 को प्रतिवादी किशना के हक में किये जाने के उपरान्त भी तत्कालीन पटवारी हल्का बैरवाल के द्वारा खातेदार रामप्यारी की मृत्यु दिनांक 5-8-2003 को होने पर उसके कायदा से पूर्व ही दिनांक 12-8-2003 को वादीगण के पक्ष में बिना पंचायत की बैठक के ही नामान्तरण खोलकर तस्दीक करवा लिया। ग्राम पंचायत बैरवाल के प्रस्ताव लिखित दिनांक 21-8-03 के अनुसार ग्राम पंचायत की दिनांक 5-8-03 से दिनांक 20-8-2003 के बीच कोई भी नामान्तरण पेश नहीं होना बतलाया गया है तत्कालीन पटवारी के द्वारा बिना पंचायत की मीटिंग के नजरअंदाज कर वादीगण के पक्ष में अवैधानिक तरीके से नामान्तरण खोलकर ग्राम पंचायत की बैठक में पेश किये बिना ही लोगों की साक्षी से तस्दीक करा लिया जो विधि विरुद्ध है। विधि विरुद्ध नामान्तरण के आधार पर वादीगण के नाम अंकित खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर प्रतिवादी किशना देवी के नाम खातेदारी की उद्घोषणा करना न्यायोचित होना प्रतीत होता है। अतः यह दावा भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। [signature] सहायक कलक्टर टोंक	

14. अनुतोष :- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार मृतक रामप्यारी की सेवा सुश्रुषा, इलाज, कराने में देखभाल प्रतिवादी किलसा के द्वारा ही की गई है। प्रतिवादी के द्वारा मृतक रामप्यारी के इलाज के बाबत सभी उपचार-पत्रादि पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में उपलब्ध राशन कार्ड में भी प्रतिवादी किलसादेवी तथा उनके पुत्रों का नाम मृतक रामप्यारी के राशन कार्ड में अंकित है। मृतक रामप्यारी के सगे भाई की पुत्री किलसा देवी है जो बाल्यावस्था से ही रामप्यारी एवं उनके पति पांचू के जीवनकाल से ही उनके पास रहना पाया जाता है। वादग्रस्त भूमि रामप्यारी के पति के द्वारा स्वअर्जित भूमि है, जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा रामप्यारी के द्वारा अपने जीवन काल में ही किलसा देवी के हक में रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई है, कारण भी वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत [illegible] रजि० वसीयत पर मृतक रामप्यारी की मृत्यु के बाद कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाना प्रतीत होता है, अतः वादीगण का वाद संख्या (85/2003) 56/2015 खारिज किया जाता है तथा इस वाद के संलग्न कन्सोलीडेट वाद संख्या 84/2003 उनवानी किलसा बनाम मेंदू स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मैमवाल तहसील दौसा में स्थित वादग्रस्त भूमि ख.नं. 22/0.62, 23/0.48, 24/0.24, 25/0.11, 26/0.31

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा ख.नं. 27/1-25 है भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण किसला देवी पत्नि मालाराम मीना को घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार टोंक को तहरीर जारी हो। निर्णय की प्रति वाद संख्या 84/2003 में शामिल हो। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर अभिलेख में जमा हो तथा बाद तकमील दाखिल रिकार्ड माल हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेरवाल के समक्ष ग्राम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर टोंक (मुहर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... जिला टोंक	